कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 4129 /12–1 देहरादून, दिनांक 22 जून, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा के पास) दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.000 से किमी0 12.00 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–2765/FP/UK/ROAD/140350/2021 दिनांक–01.05.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा लगाई गई 07 बिंदुओं की आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने पत्रांक–NHAI/PIU-VSNT/22033/JHJRA-ASHAR/Forest(DDN)/2022/ 4748 दिनांक 08.06.2023 (संलग्नक–01) के द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित किया गया हैः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	प्रस्तावित परियोजना हेतु वांछित भूमि का भूमिवार विवरण।	वांछित भूमि का भूमिवार विवरण प्रारूप सं0–16 प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त सूचना विवरण में क्रम संख्या–49 पर संलग्नक है।
2.	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या।	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या– 6574 है जो कि प्रारूप सं0 20.1 प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त सूचना विवरण में क्रम संख्या–55 पर संलग्न है।
3.	क्या प्रस्तावित परियोजना से कोई जल स्रोत प्रभावित हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र/सूचना उपलब्ध करायी जानी है।	उक्त के सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान किसी भी नदी नाले या वर्षा जल के स्रोत के बहाव में कोई बाधा/बदलाव नही किया जायेगा।
4.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार/प्रजातिवार विवरण।	प्रभावित होने वाले वृक्षों का व्यासवार/प्रजातिवार विवरण प्रारूप सं0– 20.1 में प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षारित अतिरिक्त सूचना विवरण में क्रम संख्या 55 पर संलग्न है।
5.	प्रस्तावित परियोजना की कुल लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण प्रस्तुत करें।	प्रस्तावित परियोजना की कुल लम्बाई एवं चौड़ाई का विवरण Segment wise Area Calculation Sheet में प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त सूचना विवरण में क्रम सं0–57 पर संलग्न है।
6.	प्रस्तावित परियोजना के समरेखण के आस–पास वन्यजीव/वास स्थल का	यह आरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त क्षेत्र में लगभग 20.00 है0 भूमि पर 6574 वृक्षों का पातन किया जाना है। उक्त से यह स्पष्ट है कि

	विवरण।	वन क्षेत्र घना है। घना वन क्षेत्र होने के कारण जंगल में विद्यमान तमाम पक्षियों/रेपटाईल्स तथा अन्य वन्यजीवों का वास स्थल भी है। यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने पत्रांक–1079/12–1 दिनांक–25.07.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भवना नहीं है।
7.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों का विवरण एवं विस्तृत मक डिस्पोजल योजना।	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवा निस्तारण हेतु मक डिस्पोजल योजना प्रारूप सं0–49 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हस्ताक्षरित अतिरिक्त सूचना विवरण में क्रम संख्या–35 पर संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या–FC–11/43/2021–FC, दिनांक 16.03.2023 के अनुरूप लीनियर प्रोजेक्ट होने के फलस्वरूप तथा वृक्षों का पातन प्रस्तावित होने की वजह से "Wildlife Management Plan हेतु 02 प्रतिशत तथा Soil & Moisture Conservation Plan" हेतु 0.5 प्रतिशत प्रोजेक्ट की Actual Cost की धनराशि भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा निधि में जमा की जानी अपेक्षित है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मकान सं0–171, फेज–1, वसन्त विहार, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश संख्या–FC–11/43/2021–FC दिनांक 16.03.2023 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून